**न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलिया**

**नालसी. नं0– 9600/13**

**सविता देवी बनाम रामप्रवेश साह**

**06 / 09 / 2019** अभियुक्त गीता देवी, आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है, उनके ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नथुनी यादव के द्वारा एक जमानत आवेदन सह आत्मसमर्पण दाखिल किया, जमानत आवेदन की एक प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है।

जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है और कोई अपराधी कार्य नहीं किया है। यह है कि अभियुक्तों को ग्रामीण राजनीतिक के तहत फंसाया गया है। यह कि अभियुक्त आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं यह कि अभियुक्त कि संज्ञान के बाद प्रथम उपस्थिति है यह कि अभियुक्त पर लगाए गए सभी धाराएं– 147, 323, 504, 379 भा0द0वि0 है। यह कि अभियुक्त महिला होने के नाते अभिलेख का सही जानकारी नहीं होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी यह कि अभियुक्त आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण की है। यह कि अभियुक्त उचित प्रतिभू का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है, अतः अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। बार–बार पुकार के बाद परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है। यह कि अभियुक्त आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं यह कि अभियुक्त महिला है और संज्ञान के बाद प्रथम उपस्थित है यह कि अभियुक्त पर लगाए गए सभी धाराओं में धारा– 379 भा0द0वि0 को छोड़कर सभी सुलहनीय हैं। अतः तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्त को मो0 5,000 (पॉच हजार रूपए) के एक जमानत दार का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

**न्यायिक दंडाधिकार**

**तत्पश्चात्**

**06 / 09 / 2019** उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त गीता देवी से मांगे गए रकम का बंध पत्र एवं वचन बद्धता दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

**न्यायिक दंडाधिकारी**